भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. †*202
उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

काजू उद्योग में संकट की स्थिति

†*202. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वर्तमान संकट से बचाने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार का काजू से संबंधित एमएसएमई उद्योगों को बचाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बैंकों को केरल की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के निर्णय को लागू करने का निर्देश देने का विचार है ताकि काजू से संबंधित एमएसएमई उद्योगों को पुनर्जीवत किया जा सके और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि एसएलबीसी के निर्णय के विपरीत बैंकों द्वारा सख्त कार्रवाई के कारण काजू उद्योग क्षेत्र में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार काजू से संबंधित एमएसएमई उद्योगों के एनपीए के निपटान के लिए कोई विशेष कार्यक्रम लागू करने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"काजू उद्योग में संकट की स्थिति" के संदर्भ में दिनांक 13.03.2025 को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *202 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) एवं (ख): केरल में काजू क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और एमएसएमई को संरक्षित करने के उद्देश्य से, केरल सरकार ने काजू क्षेत्र का व्यवस्थित मूल्यांकन करने की दृष्टि से अक्टूबर 2022 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने सिफारिश की, कि वर्तमान में सक्रिय निजी काजू प्रसंस्करण इकाइयाँ चार मौजूदा स्कीमों यथा कंटिन्यूड ऑपरेशन लिंक्ड स्टीमयउलूस प्रोग्राम; महिला अनुकूल वास्तविक अवसंरचना सृजन /उन्नयन; शेलिंग इकाइयों का आधुनिकीकरण/उन्नयन तथा लघु एवं मध्यम काजू इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पूंजी अनुदान सहायता हेतु स्कीम का लाभ उठाकर अपनी व्यवहार्यता कमी को दूर कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, केरल सरकार ने काजू क्षेत्र को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न स्कीमें शुरू की हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, उद्यमी सहायता स्कीम; एक परिवार एक उद्यम; नैनो इकाइयों को मार्जिन मनी अनुदान; संकटग्रस्त परिसंपत्ति वाले एमएसएमई, निष्क्रिय एमएसएमई इकाइयों और काजू प्रसंस्करण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए स्कीम और एकबारगी निपटान स्कीम (ओटीएस) शामिल हैं।

(ग): एमएसएमई के अंतर्गत आने वाले काजू उद्योगों के पुनर्जीवन के विषय को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक में विशेष मुद्दा बनाया गया है। नवंबर 2024 माह में आयोजित पिछली बैठक में इस विषय को उठाया गया था और सभी बैंकों को काजू क्षेत्र के कायाकल्प के लिए समन्वित प्रयास करने का निर्देश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, ऋण खातों के निपटान के लिए एक सामान्य मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने और एकबारगी निपटान स्कीम (ओटीएस) की तारीख को दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया गया था।

(घ): केरल सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, भारी वित्तीय देनदारियों के कारण उद्योग से जुड़े पांच लोगों ने आत्महत्या कर ली।

(ड.): केरल सरकार ने बैंकों को एनपीए कम करने और केरल में काजू क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में सहायता करने हेतु एकबारगी निपटान स्कीम (ओटीएस) को शुरू किया है। नवंबर 24, की पिछली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बैंक एकबारगी निपटान के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए अलग-अलग बैंक बोर्ड के समक्ष ले जाएंगे।

****